

11034/09/2025-राजभाषा (नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 25/08.2025

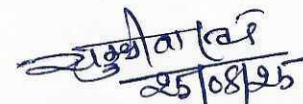
कार्यालय ज्ञापन**विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना के संबंध में।**

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलतः हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) द्वारा प्रोत्साहन राशि में संशोधन भी किया गया।

2. केंद्र सरकार के कार्यालयों में भौतिक फाइलों के स्थान पर इलैक्ट्रानिक फाइल प्रणाली अपनाए जाने के कारण फाइलों पर टिप्पण/आलेखन का अधिकांश कार्य डिजिटल हो गया है। अतः योजना के कार्यान्वयन को विस्तार प्रदान करने के लिए विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

वर्तमान में योजना का नाम	संशोधित नाम
'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'	'सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलैक्ट्रानिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'
पात्रता में निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ा जाता है:	
2(2)(ड) इस योजना के तहत कंप्यूटर/ई-ऑफिस में हिंदी में किए गए टिप्पण/आलेखन को भी शामिल किया जाएगा।	

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक (नीति)
दूरभाष: 23438251

सेवा में : -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त निकायों/उद्घर्मों/अभिकरणों/निगामों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ध्यान में लाएं।

25/

1/2

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
8. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।
10. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
11. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
12. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी ।
13. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव ।
14. अतिरिक्त प्रतियां (20)